

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 74/2020

- 1 शाकीर पुत्र दाउद अली जाति भाटी निवासी कस्बा रामगढ़ शेखावाटी वार्ड नम्बर 18 तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
- 2 मोहम्मद अकबर पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति व्यापारी निवासी कस्बा रामगढ़ शेखावाटी वार्ड नम्बर 23 तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।



अपीलांत

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बउनवानी तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी
बनाम शाकिर आदि मुकदमा नम्बर 07/2016 दिनांक

02.08.2019

उपस्थिति :

1. श्री रिडमल सिंह, अधिवक्ता अपीलांत
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

106
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

-निर्णय-

दिनांक:- 31.08.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2016 को रेस्पोंडेंट संख्या एक की ओर से अपीलाण्ट के विरुद्ध अपीलाधीन आवेदन इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 कृषि भूमि खसरा नम्बर 802 रकबा 2.00 हैक्टेयर वाके ग्राम रामगढ शेखावाटी के खातेदार कृषक है, उन्ही के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ कानून या विधि उपरोक्त खसराजात की समस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्लॉटिंग कर रखी है, जबकि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ भूमि धारक होने से उक्त भूमि का स्वामी है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को कोई अधिकार कृषि भूमि में किस्म बदलने या भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नहीं होते हुये भी उक्त भूमि को अकृषि में तब्दील कर दिया है अप्रार्थीगण उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोगा अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक हो गई है। असल दरखास्त रिपोर्ट पटवारी का सूची संलग्न है उक्त खातेदारी की भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने को दिनांक 16.02.2016 को अप्रार्थीगण को कहलवाने की वोह वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी खारीज करवाने वा आबाद व्यक्तियों द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहलवाया तो वोह साफ इन्कार हो गये इसलिये वाद हेतुक प्राप्त है अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे वा भूमि सिवायचक घोषित की जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचारण निर्णय से वाद वादी डिकी किया है।

४७६
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 18.02.2016 अप्रार्थीगणा के नाम नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में तारीख पेशी 17.03.2016 को पेश हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट को कोई नोटिस नहीं मिला लेकिन बाद में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामिल हेतु नोटिस दिनांक 08.12.2016 को जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण को 10.01.2017 को उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 804 में किसी प्रकार की अनाधिकृत प्लॉटिंग नहीं की गई है तथा हमारे द्वारा उक्त कृषि में कृषि सम्बन्धी ही कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का आवासीय निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण इसी चरण पर ड्रॉप करने की कृपा करें। अपीलान्ट द्वारा उक्त दावा में दर्ज तथ्यों को इन्कार करते हुये कार्यवाही निरस्त करवाने की अनुतोष चाहा था लेकिन रेस्पोंडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण का दावा के रूप में पेश किया गया था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के बाद जवाब अप्रार्थीगणा के उक्त प्रकरण में विवाधक कायम करके दोनो पक्षकारान की साक्ष्य लेनी चाहिये था लेकिन योग्य अधीनस्थ द्वारा प्रकरण को सीधे ही बहस हेतु नियत कर दिया इसलिये योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि में से अपने अपने हिस्से की भूमि को आज दिन तक अकृषि भूमि में नहीं बदला है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण भूमि को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज करने एवं कब्जेराज में लिये जाने व उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखली बाबत आदेश पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय की जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजारव अपील अधिकारी
सीकर



अपीलांट के वकील ने समय पर नहीं दी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के विरुद्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है की अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 804 रकबा 2 हैक्टेयर पर मौके पर पीलर लगाकर प्लॉटिंग की हुई है। अपीलांट द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 177 के अनुसार विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जेराज लेने एवं अपीलांट को बेदखल करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट के विरुद्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है की अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 804 रकबा 2 हैक्टेयर पर मौके पर पीलर लगाकर प्लॉटिंग की हुई है। अपीलांट द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 177 के अनुसार विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जेराज लेने एवं अपीलांट को बेदखल करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



406
(राजस्व अपील प्राधिकारी एवं पदेन मजदूर अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर)